सं. 19024/1/2009-ई.IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
******

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्वायत्त निकायों के अलग-अलग मामलों में एयर इंडिया से भिन्न एयरलाइन्स में हवाई यात्रा हेतु छूट देने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के वित्त सलाहकारों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में।

व्यय विभाग के दिनांक 07.06.2016 के समसंख्यक का. ज्ञा. के पैरा '2' की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें प्रावधान है कि प्रचालन संबंधी या अन्य कारणों से या अनुपलब्धता के कारण एयर इंडिया से भिन्न एयरलाइन्स से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों हवाई यात्राओं के लिए छूट देने की शक्तियां जो नागरिक उड्यन मंत्रालय में निहित थीं, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं और कि स्वायत्त निकायों के अलग-अलग मामलों के संबंध में, संबंधित मंत्रालय/विभाग के वित्त सलाहकार एयर इंडिया से भिन्न एयरलाइन्स से हवाई यात्रा करने की छूट प्रदान करेंगे।

2. इस विभाग को स्वायत्त निकाय/सांविधिक संगठन के अलग-अलग मामलों में एयर इंडिया से भिन्न किसी एयरलाइन्स में यात्रा करने का अनुमोदन प्रदान करने के लिए स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों के वित्त सलाहकारों को और शक्तियां प्रदान किए जाने की मांग करते हुए अनेक पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

3. एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वायत्त निकायों के अलग-अलग मामलों सहित, एयर इंडिया से भिन्न एयरलाइन्स से हवाई यात्रा की छूट प्रदान करने की शक्तियां, स्वायत्त निकाय/सांविधिक संगठन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकारों में ही निहित हैं और कि ये शक्तियां, संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वायत्त निकाय/सांविधिक संगठन के वित्त सलाहकारों को आगे प्रत्यायोजित नहीं की जा सकतीं।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार
फोन 23093276

सेवा में

सभी वित्त सलाहकार (सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: सचिव, सभी मंत्रालय/विभाग (सूची के अनुसार)